

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता (याँ) का कार्यालय
सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक प्रमंडल, वाल्मी, पटना।
(अवस्थित करबिगहिया, पटना)

पत्रांक 75

पटना, दिनांक 13.02.2024

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-07/2023-24

1. निविदा निर्गत करने की तिथि : दिनांक 13.02.2024
2. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक)
सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक प्रमंडल, वाल्मी, पटना।
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि : दिनांक-20.02.2024 से 22.02.2024 तक कार्यालय
अवधि में।
4. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्राप्ति की तिथि : दिनांक-23.02.2024 को 3.00 अपराह्न तक।
एवं समय
5. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक-23.02.2024 को 3.30 बजे अपराह्न में।
6. वित्तीय निविदा खोलने की तिथि एवं समय : इसकी सूचना अलग से दी जायेगी।
7. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान : 1. मुख्य अभियंता (याँ) जल संसाधन विभाग,
पटना।
2. अधीक्षण अभियंता (याँ), सिंचाई विद्युत सह
यांत्रिक अंचल, पटना।
3. कार्यपालक अभियंता (याँ) सिंचाई विद्युत सह
यांत्रिक प्रमंडल, वाल्मी, पटना।
8. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान : क्रमांक 7 में वर्णित कार्यालयों में।
9. कार्य का विवरण :

शुप सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रघन की राशि (रु. में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु.में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	Annual Repair & maintenance of electrical appliances Photo Copier Machine etc. for office of Chief Engineer (M) Irrigation Building and Shifting of the Office of C.E.(M). In irrigation building ,W.R.D. Patna & Residue work of 1 No Washroom of S.E(M) Irrigation Electrical Cum Mechanical Circle, Patna.	4.21938	8500.00	750.00	10 Days
2.	Renovation(Rewiring) of Internal Electrification of Office of the S.E. Sone Canal Circle, Ara.	9.08138	18200.00	1250.00	10 Days
3.	Renovation(Rewiring) of Internal Electrification of Office of S.E. Irrigation Circle, Gaya and Divisional Office Irrigation Division Gaya.	4.69305	9400.00	750.00	10 Days

A20

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अवधन की राशि (रु. में)	परिमाण विपन्न का मूल्य (रु.में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
4.	Renovation(Rewiring) of Internal Electrification of B1-Type Quarter(Residence of S.E.) and B2-Type Quarter(Residence of E.E.) under Irrigation Division Gaya.	6.86539	13800.00	1250.00	10 Days
5.	Renovation (Rewiring) of Internal Electrification of SE office , Irrigation Circle, Jamui and Divisional Office, Irrigation Division, Jamui, & Supplying /fitting of gate light in S.E. Residence.	8.41716	16900.00	1250.00	10 Days
6.	Renovaton (Rewiring) of Electrification of Office of the S.E. Master Planning Investigation and Prepration Circle, Gaya.	1.30058	2700.00	500.00	10 Days
7.	Rectification and upgrading with LED light of 02 Nos. High Mast lighting system which is situated in Punpun Barrage Hamid Nagar Goh. Under Punpun Barrage Division No-01, Goh Gaya.	11.31981	22700.00	2500.00	10 Days

नोट:- निविदा के नियमों / शर्तों एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय सूचना पट्ट तथा परिमाण विपन्न के विक्री स्थानों पर सम्पर्क किया जा सकता है । ववेसाईट www.prdbihar.gov.in एवं www.wrd.bihnic.in पर देखा जा सकता है ।

13/08/24
कार्यपालक अभियंता (यौ०)

सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक प्रमण्डल, वाल्मी, पटना

Rabun
13/08/24

सरकारी सेवा जन सेवा का माध्यम है, धर्म ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें।

निविदा का नियम एवं शर्तें

1. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी (Class - IV) में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को उपरोक्त वर्णित कार्यों के लिए उर्जा विभाग द्वारा निर्गत विद्युत ठीकेदारी लाइसेंस एवं विद्युत कार्य से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाताओं को दो मुहरबंद लिफाफों में निविदा दस्तावेज समर्पित करना होगा। प्रथम मुहरबंद लिफाफा पर तकनीकी निविदा तथा दूसरे लिफाफा पर वित्तीय निविदा अंकित करना होगा। प्रथम मुहरबंद लिफाफा तकनीकी निविदा के लिए तथा द्वितीय लिफाफा वित्तीय निविदा के लिए होगा। तकनीकी निविदा वाले लिफाफा में स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी का निबंधन प्रमाण-पत्र, विद्युत ठीकेदारी लाइसेंस, विद्युत कार्य से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र, शपथ-पत्र, G.S.T. निबंधन संख्या, चरित्र प्रमाण-पत्र, पैन संख्या एवं वांछित अग्रधन की राशि जमा करना होगा। द्वितीय मुहरबंद लिफाफा में दर अंकित कर (अंक एवं अक्षर दोनों में) जमा करना होगा। सिर्फ प्रथम लिफाफा अर्थात् उपरोक्त मापदण्डों के आधार पर योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं का ही दूसरा लिफाफा (वित्तीय निविदा) खोला जायेगा। अयोग्य निविदादाताओं का दूसरा लिफाफा (वित्तीय निविदा) यथावत् संबंधित निविदादाताओं को वापस कर दिया जायेगा।
4. अग्रधन की राशि विधिवत कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक प्रमण्डल, वाल्मी, पटना के नाम से अद्यतन प्रतिज्ञापित करना होगा। अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवाँ निर्गम) या डाकघर सावधि जमा पासबुक (दो एवं तीन वर्षीय) के रूप में जमा करना होगा। यह राशि परिमाण विपत्र में अंकित राशि होगी जो प्राक्कलित राशि का 2 (दो) प्रतिशत होगा। अग्रधन की राशि निविदा आमंत्रण की तिथि के बाद प्रतिज्ञापित होना चाहिए।
5. कार्य की प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है, अतएव परिमाण विपत्र में अंकित राशि के आधार पर ही अग्रधन की राशि एवं निविदा संलेख का मूल्य देय होगा।
6. निम्न आशय का शपथ-पत्र (Affidavit) निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

"I the undersigned do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct and if found fake/ forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R. and lawful punishment as well as blacklisting."

7. निविदा प्राप्ति की तिथि को राजपत्रित अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को निश्चित समय पर प्राप्त एवं खोली जायेगी।
8. जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा उन्हें तत्काल एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ कर देना होगा अन्यथा कार्य आवंटन रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. संवेदक/एजेन्सी के विपत्र से 10 (दस) प्रतिशत की राशि कटौती की जाएगी, जिसका अन्तिम भुगतान संबंधित प्रमंडल के प्रभारी कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य समय पर एवं संतोषप्रद होने का सम्पुष्टि प्रमाण पत्र होने के पश्चात् किया जायेगा।
10. निविदा निष्पादन के दौरान जैसे निविदाकारों को कार्य आवंटन से वंचित रखा जायेगा, जिसके विरुद्ध विभाग में कालीकरण की कार्रवाई चल रही हो अथवा कार्य- कलाप संदेहास्पद हो।
11. निविदादाताओं द्वारा परिमाण विपत्र के दर से कम उद्धृत करने पर पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 447(s) दिनांक 16.01.2020 सह पठित ज्ञापांक 447(s) दिनांक

26.01.2020 तथा विभागीय पत्रांक 50 दिनांक 20.01.2020 के क्रम में अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) जमा करना होगा।

12. अपर मुख्य सचिव, गृह सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक-29 दिनांक 25.01.2021 के अनुसार, जिला पुलिस द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. कार्य का एकरारनामा एफ-2 (कडिका-23 विलोपित) पर किया जायेगा।
14. निविदादाताओं का दायित्व होगा कि निविदा डालने के पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण कर कार्य की प्रकृति एवं कार्य संपादन में आने वाली कठिनाईयों से स्वयं अवगत हो लें। एकरारनामा संपादित कर लेने के बाद किसी कारण से कार्य संपादन में असमर्थ रहने वाले संवेदक नियमानुकूल दंडात्मक कार्रवाई के भागी होंगे।
15. प्रभारी अभियंता के निदेशानुसार एवं विशिष्टि के अनुरूप संवेदक को कार्य करना होगा।
16. G.S.T., आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
17. श्रमिक कल्याण निधि मद में एक प्रतिशत दर की कटौती की जायेगी।
18. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
19. विद्युत सामग्रियों ख्याति प्राप्त निर्माता यथा Anchor, Bajaj, Havells Made का आपूर्ति करना होगा।
20. बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक निविदा को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। रद्द किये गये निविदा के लिए किसी प्रकार का स्पष्टीकरण बताने हेतु निर्णय लेने वाले पदाधिकारी बाध्य नहीं होंगे।
21. संवेदक द्वारा सम्पादित कार्य एक वर्ष तक वारंटी के अन्तर्गत करना होगा तथा किसी तरह की खराबी आने पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उन्हें मरम्मत कर पुनः क्रियाशील करना होगा।
22. निधि उपलब्ध होने के पश्चात् ही कार्य का भुगतान होगा।
23. जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा, उन्हें एकरारनामा के समय निर्धारित अवधि में कार्य पूरा करने से संबंधित स्वहस्ताक्षरित वर्क सिड्यूल (Work Schedule) (जो एकरारनामा का अभिन्न अंग समझा जायेगा)। समर्पित करने के बाद ही एकरारनामा किया जायेगा एवं कायदेश प्राप्त होते ही यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कर देना होगा, अन्यथा कार्य आवंटन रद्द करते हुए जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।
24. एक से अधिक निविदाकार के द्वारा समान न्यूनतम दर उद्धृत किये जाने की स्थिति में सफल निविदाकार का चयन बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 163 के प्रावधान के आलोक में लौटरी के माध्यम से किया जायेगा।
25. स्थानीय निविदादाता श्रेणी 4 के उपलब्ध नहीं होने पर मुख्यालय स्थित समुचित श्रेणी के निविदादाता के द्वारा डाले जाने वाले निविदा पर विचार किया जा सकता है।

Arora
13/2/24

कार्यपालक अभियंता (याँ.)

सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक प्रमण्डल, वाल्मी,

Rajesh
13/02/24

पटना।